फर्द अहकाम

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)**

सुनिता बनाम विनोद

मुकदमा नम्बर :– 27/142/2019

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 27/5/24 | प० वादी उप०। साक्ष्य हेतु समय चाहा। एक और न्यायहित में अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 14/6/24 को पेश हो। [signature] | |
| | 14/6/24 | प० वादी उप०। साक्ष्य पेश करने हेतु न्यायहित में एक और अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 10/7/24 को पेश हो। [signature] | |
| | 10/7/24 | प० वादी उप०। साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। अत: साक्ष्य वादी का अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 26/7/24 को पेश हो। [signature] | |
| | 26/7/24 | प. वादी उप। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा कोई साक्ष्य के शपथ पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये [illegible] ना ही [illegible] गया है। फलस्वरूप वादी का [illegible] साक्ष्य के अभाव में खारीज किया जाता है। | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:41:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

# न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:रतन कौर (R.A.S.)

---

**मुकदमा नं0:–27/142/14**

**उनवान**

सुनिल मीणा पुत्र हनुमानसहाय मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

**बनाम**

1. विनोद पुत्र गणपत
2. रामधन पुत्र गणपत
3. रतिराम पुत्र गणपत
4. रामकिशोर पुत्र गणपत
5. सरिता पुत्री गणपत
6. सुमित्रा पुत्री गणपत
7. कलावती पुत्री गणपत
8. चान्द पुत्री गणपत
9. जंडाव पत्नि गणपत
10. कजोड पत्नि गणपत
11. श्रवण पुत्र प्रभात
12. गजानन्द पुत्र प्रभात
13. आशा पुत्री प्रभात
14. कमली देवी पत्नि महावीर
15. अजय पुत्र महावीर नाबालिक जरिये संरक्षिका माता कमला देवी
16. रुडी देवी पुत्री धोकल
17. हरफूल पुत्र नारायण
18. रमेश पुत्र नारायण
19. सोहन पुत्र नारायण
20. ममता पुत्री नारायण
21. बसन्ती पुत्री नारायण
22. गंगा देवी पत्नि नारायण
23. अविनाश पुत्र बनवारी
24. सीमा पुत्री बनवारी
25. खुशबू पुत्री बनवारी
26. सपना पुत्री बनवारी
27. सुशिला पत्नि बनवारी
28. महादेव पुत्र बालू
29. भींवा पुत्र बालू
30. सावित्री पत्नि हनुमान
31. धापू देवी पत्नि रघुवीरप्रसाद
32. प्रेम देवी पत्नि नन्छूराम

    समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
33. सुमन पत्नि महिपाल जाति मीणा, ग्राम बरसिंहपुरा, तह0 लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर
34. सरोज पुत्री हनुमान
35. सुगना पुत्री हनुमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:41:49 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
36. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला – जयपुर।
37. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला – जयपुर।
38. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
39. भारतीय स्टेट बैंक चौमूं, जरिये शाखा प्रबन्धक।

–प्रतिवादीगण

## दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

**वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

## निर्णय

दिनांक :– 26.07.2024

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 35 सहखातेदार काश्तकार है। वाके ग्राम भोपावास, पटवार हल्का हाडोता, भू0अभि0नि0 क्षेत्र चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में भूमि आराजी खाता संख्या 48 के खसरा नम्बर 461 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 463/1284 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 470 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 471 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 626/1292 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 627 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 628 रकबा 0.24 है0 कुल किता 8 का कुल रकबा 0.93 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि ही विवादग्रस्त आराजीयात है। विवादित आराजीयात् वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 35 की संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है उक्त भूमि का आज दिन तक भी विधिवत् रुप से किसी भी सक्षम अधिकारी एवं न्यायालय द्वारा तकासमा नहीं किया गया है। उक्त विवादित आराजीयात् भूमि खसरा नम्बर 48 में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 35 की खातेदारी है अर्थात् विवादित आराजीयात् वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 35 की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है जिसका की आज दिन तक भी बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स तकासमा नहीं हुआ है तथा सभी खातेदार मनबट के अनुसार भूमि का विभाजन कर अपने अपने हिस्से मुताबिक विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर राज्य सरकार को लगान अदा करते चले आ रहे है। वादी ने विवादित आराजीयात् के अन्य सहखातेदारों अर्थात् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 35 से विवादित आराजीयात् का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कब्जे का आधार पर विधिवत् रुप से तकासमा किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 35 द्वारा वादी को शीघ्र तकासमा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल किया जाता रहा तथा वादी के अनेक मर्तबा तलब व तकाजा करने पर भी आज दिवस तक भी विवादित आराजीयात् का विधिवत् तकासमा नहीं करवाया गया। वादी द्वारा दिनांक 19.05.2014 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 35 से सम्पर्क कर विवादित आराजीयात् का बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विवादित आराजीयात् का विधिवत् तकासमा किये जाने बाबत् निवेदन करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 35 उग्र हो गये तथा वादी को विवादित आराजीयात् का विधिवत् तकासमा करने से साफ इन्कार कर दिया तथा विवादित आराजीयात् जो वर्तमान में शामलाती कब्जे काश्त की भूमि है में बिना विधिवत् तकासमा करवाये ही कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ अर्थात् आवासीय भूखण्डों में विभक्त करने, पुख्ता निर्माण कार्य करनें, रोड वगै0 डालने, भूखण्डों का बेचान हस्तान्तरण करने की धमकी दी गई। जिस कारण वादी को उक्त वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

वादी ने उक्त वाद पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सालिक डिकी किया जाकर विवादित आराजीयात् का वादी के कब्जे काश्त अनुसार बाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:41:49 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner

मिट्स एण्ड बाउन्ड्स तकासमा किया जाकर विवादित आराजीयात् भूमि खाता संख्या 48 में वादी के हिस्से 1/60 भाग का पर्चा लगान अलग से कायम किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 37 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 35 विवादित आराजीयात् को बिना विधिवत् तकासमा करवायें किसी विशिष्ट भू-भाग को अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था को हस्तानान्तरित नहीं करें, ना हीं वादी को विवादित आराजीयात् में निहित वादी के शामलाती कब्जे काश्त एवं हिस्से की भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग से ही वंचित करें, ना ही वादी को विवादित आराजीयात् को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रुपान्तरित करें, ना ही प्लॉटिंग करें, ना ही रोड वगै0 डालें, ना ही निर्माण सामग्री डलवाये, ना ही कोई खाम या पुख्ता निर्माण कार्य करे, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार को कोई व्यवधान ही कारित करें तथा प्रतिवादीगण संख्या 36 विवादित आराजीयात बाबत् किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें तथा प्रतिवादीगण संख्या 37 विवादित आराजीयात बाबत् किसी विक्रय पत्र एवं लेख पत्र के अपने समक्ष प्रस्तुत होने पर उसे तस्दीक नहीं करें अर्थात् उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें ना हीं अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें अर्थात् प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात् की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी को साक्ष्य के शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य के शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश नहीं किये गये है। जबकि वादी Master Of Suit होने के कारण कानूनन वादी का विधिक दायित्व होता है कि वह अपने वाद पत्र को साक्ष्य के शपथ पत्र पेश करके व वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात को प्रदर्शीत करवाना आवश्यक है जोकि वादी के द्वारा नहीं करवाये गये है जिस कारण वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:41:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

## डिक्री मुकददमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

# न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –: रतन कौर (R.A.S.)

---

**उनवान**

सुनिल मीणा पुत्र हनुमानसहाय मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

**बनाम**

1. विनोद पुत्र गणपत
2. रामधन पुत्र गणपत
3. रतिराम पुत्र गणपत
4. रामकिशोर पुत्र गणपत
5. सरिता पुत्री गणपत
6. सुमित्रा पुत्री गणपत
7. कलावती पुत्री गणपत
8. चान्द पुत्री गणपत
9. जडाव पत्नि गणपत
10. कजोड पत्नि गणपत
11. श्रवण पुत्र प्रभात
12. गजानन्द पुत्र प्रभात
13. आशा पुत्री प्रभात
14. कमली देवी पत्नि महावीर
15. अजय पुत्र महावीर नाबालिक जरिये संरक्षिका माता कमला देवी
16. रुडी देवी पुत्री धोकल
17. हरफूल पुत्र नारायण
18. रमेश पुत्र नारायण
19. सोहन पुत्र नारायण
20. ममता पुत्री नारायण
21. बसन्ती पुत्री नारायण
22. गंगा देवी पत्नि नारायण
23. अविनाश पुत्र बनवारी
24. सीमा पुत्री बनवारी
25. खुशबू पुत्री बनवारी
26. सपना पुत्री बनवारी
27. सुशिला पत्नि बनवारी
28. महादेव पुत्र बालू
29. भींवा पुत्र बालू
30. सावित्री पत्नि हनुमान
31. धापू देवी पत्नि रघुवीरप्रसाद
32. प्रेम देवी पत्नि नन्छूराम

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

33. सुमन पत्नि महिपाल जाति मीणा, ग्राम बरसिंहपुरा, तह0 दांतारामगढ, जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:41:49 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner

34. सरोज पुत्री हनुमान
35. सुगना पुत्री हनुमान
समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम भोपावास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
36. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला – जयपुर।
37. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला – जयपुर।
38. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
39. भारतीय स्टेट बैंक चौमूं, जरिये शाखा प्रबन्धक।

–प्रतिवादीगण

## दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषैधाज्ञा

**अधीन धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

मुकदमा नं0:–71/16 निर्णय दिनांक:– 09.02.2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है।

निजी ..........मबलिक .............. बाबत ...............खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ......... ......................... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ........ को अदा करें बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 26.07.2024 को जारी किया गया ।

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प | 2 | 1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | 2 |
| 2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | 1 | 2.अर्जी के लिये स्टाम्प | |
| 3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प | | 3.प्लीडर की फीस | |
| 4......रूपये पर प्लीडर कह फीस | | 4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय | |
| 5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय | | 5.कमिशनर की फीस | |
| 6.कमिशनर की फीस | | 6.आदेशिका की तामिल | |
| 7.आदेशिका की तामिल | | | |
| जोड | 3 | जोड | 2 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.09.05 15:41:49 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with OKEN Scanner